<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय ,नैनीताल</u>

न्यायमूर्ति एस.के. मिश्रा, ए.सी.जे.

निर्णय सुरक्षित: 23.11.2021
निर्णय दिया गया: 25.03.2022

<u>आदेश संख्या 179 से अपील 2011</u>

अतुल कुमार भगत। ... अपीलकर्ता

बनाम

विनोद कुमार खोलिया और अन्य। ...अपीलकर्ता के प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता:	श्री राजेश जोशी, अधिवक्ता ।
उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता:	श्री ए.एम. सकलानी, प्रतिवादी नंबर 1 के अधिवक्ता और श्री ललित बेलवाल, प्रतिवादी नंबर 2 के अधिवक्ता।

पक्षों को सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया
(श्री एस.के. मिश्रा, एसीजे के अनुसार)

वर्तमान अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अतिरिक्त द्वारा पारित निर्णय और अधिनिर्णय दिनांक 20.04.2011 को चुनौती दी है। जिला न्यायाधीश, नैनीताल में एम.ए.सी.पी. 2008 की संख्या 112, अपीलकर्ता द्वारा दायर दावा याचिका को खारिज करते हुए।

2. मामले के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि, 22.04.2008, लगभग 09:20(सुबह) बजे, अपीलकर्ता नैनीताल में अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। एक वाहन (टवेरा नंबर UA 04D 0345), उसके चालक द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया भोवाली ने जोखिया के पास अपीलार्थी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी ओवरटेक करते समय। इस दुर्घटना के कारण अपीलार्थी गंभीर चोटें आईं और बेहोश हो गए। अपीलकर्ता को बी.डी.पाण्डेय अस्पताल, नैनीताल द्वारा दुर्घटनास्थल पर जमा लोगो ने भरती करवाया। बाद प्राथमिक उपचार कर अपीलकर्ता को साईं अस्पताल रेफर कर दिया गया, हल्द्वानी में भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी| वहाँ, अपीलकर्ता के दाहिने हाथ का ऑपरेशन किया गया। अपीलकर्ता को यह भी बताया गया कि उन्हें एक और प्रक्रिया से गुजरना है भविष्य में ऑपरेशन की, जिसकी लागत लगभग रु1,00,000/-। अपीलकर्ता पहले ही रु1,00,000 / खर्च कर चुका था उसके इलाज में। दुर्घटना की वजह से अपीलकर्ता पूरी तरह से विकलांग हो गया है। अपीलकर्ता जूलॉजिकल गार्डन में कार्यकर्ता था, नैनीताल में संविदा पर कम्प्यूटर आपरेटर के पद आधार पर रु6,000/-। रुपये का मासिक वेतन प्राप्त कर रहा था। इसके अलावा, अपीलकर्ता रु5,000/- प्रति माह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर के काम से कमाता था। इस प्रकार अपीलार्थी का कुल योग हो रहा था रुपये की आय रु11,000/- प्रति माह। इन तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ता ने रु10,00,000/ रुपये के मुआवजे का दावा किया है। साथ में विरोधी पक्षों से 9% की दर से ब्याज।

3. विरोधी पक्ष संख्या 1 (श्री विनोद कुमार खोलिया), जो आपत्तिजनक वाहन के मालिक हैं, उन्होंने अपना लिखित बयान दर्ज कराया। लिखित बयान में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया कि अपीलकर्ता ने अपनी दावा याचिका में मोटरसाइकिल के नंबर या बीमा के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया है, जिसका अपीलकर्ता मालिक होने का दावा करता है। इस आधार पर, अपीलकर्ता द्वारा दायर दावा याचिका अस्पष्ट और अधूरा होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। यह आगे कहा गया कि विरोधी पक्ष संख्या 1 के वाहन संख्या UA 04D 0345 से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। अपीलकर्ता ने इस संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन को कोई लिखित या मौखिक जानकारी नहीं दी थी। अपीलकर्ता ने एक मनगढ़ंत कहानी के आधार पर धन प्राप्त करने के लिए दावा याचिका में एक पक्ष के रूप में विरोधी पक्ष संख्या 1 को पक्षकार बनाया है। प्रश्न में संबंधित वाहन राष्ट्रीय बीमा कंपनी के साथ बीमाकृत है।

4. विरोधी पक्ष संख्या 2 (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए अपना लिखित बयान दायर किया कि कंपनी को मिली जानकारी के अनुसार ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। आगे यह कहा गया कि उक्त दुर्घटना के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी और अपीलकर्ता की पूरी कहानी झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। इसके अलावा कंपनी को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई सूचना नहीं मिली। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

5. विरोधी पक्ष संख्या 3 (श्री हेम सिंह अधिकारी) ने कोई लिखित बयान दाखिल करने का विकल्प नहीं चुना, हालांकि उन्हें पर्याप्त रूप से सेवा दी गई थी। इसलिए, दिनांक 30.08.2010 के आदेश के अनुसार, जहां तक उनका संबंध है, कार्यवाही को एकपक्षीय रूप से चलाने का निर्देश दिया गया था।

6. विरोधी पक्ष संख्या 4 (श्री कंचन कुमार भगत), जो अपीलकर्ता के भाई हैं, ने अन्य बातों के साथ-साथ अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि, 22.04.2008 को अपीलकर्ता अपनी मोटरसाइकिल संख्या UA 04E 2955 चला रहा थे और सुबह लगभग 09:20 बजे नैनीताल में अपनी ड्यूटी करने जा रहा थे। जब वह जोखिया के पास पहुंचा, तो एक वाहन (टवेरा नंबर UD 04D 0345), उसके चालक द्वारा भोवाली की ओर तेजी से और लापरवाही से चलाए जाने पर, ओवरटेक करते हुए अपीलकर्ता की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के कारण, अपीलकर्ता के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। यह आगे कहा गया कि उसका भाई, यानी अपीलकर्ता, अपनी मोटरसाइकिल को बहुत सावधानी से और अपनी बाईं ओर धीमी गति से चला रहा था। यह आगे कहा गया कि, दुर्घटना के समय, उनकी मोटरसाइकिल का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमा किया गया था और विरोधी पक्ष संख्या 4 के भाई, यानी अपीलकर्ता के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।

7. विरोधी पक्ष संख्या 5 (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ने भी अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि विचाराधीन दुर्घटना आपत्तिजनक वाहन के चालक द्वारा

तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। आगे यह कहा गया कि कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उक्त दुर्घटना के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए, जहां तक विरोधी पक्ष संख्या 5 का संबंध है, दावा याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

8. ऐसी दलीलों पर, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित पांच मुद्दों को तैयार किया:

(i) क्या 22.04.2008 को सुबह लगभग 09:20 बजे, अपीलार्थी जूलॉजिकल गार्डन में अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, और जब वह जोखिया के पास पहुंचा, तो नैनीताल से भोवाली की ओर जाने वाला वाहन (टवेरा नं. UA 04D 0345), उसके चालक द्वारा उतावलेपन और लापरवाही से चलाए जाने पर, ओवरटेक करते समय अपीलकर्ता की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण अपीलकर्ता को गंभीर चोटें आईं ?

(ii) क्या उक्त दुर्घटना के समय वाहन (टवेरा नं. UA 04D 0345) का विपरीत पक्ष नं. 2, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमा किया गया था, और वाहन नियम और बीमा पॉलिसी के अनुसार चलाया जा रहा था?

(iii) क्या दुर्घटना के समय अपीलकर्ता और वाहन के चालक (टवेरा सं. UA 04D 0345) के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था?

(iv) क्या मोटरसाइकिल और उसकी बीमा कंपनी के कथित मालिक के गैर-संयोजन के लिए दावा याचिका खराब है?

(v) क्या अपीलकर्ता कोई मुआवजा पाने का हकदार है? यदि हां, तो कितना और किससे?

9. जहां तक अंक संख्या 1 का संबंध है, माननीय अधिकरण ने कहा कि अपीलकर्ता यह साबित करने में असमर्थ था कि,सुबह 22.04.2008 को लगभग 09:20 बजे, जब वह अपनी मोटरसाइकिल से अपने कर्तव्यों में भाग लेने के लिए जा रहा था, नैनीताल से भोवाली जा रहे जूलॉजिकल गार्डन के चालक द्वारा तेज व लापरवाही से वाहन (टवेरा क्रमांक UD 04D 0345) को ओवरटेक करने के क्रम में जोखिया के पास उसकी मोटरसाइकिल टकरा गयी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया इसलिए, अपीलकर्ता के विरुद्ध वाद संख्या 1 का निर्णय किया गया।

10. जहां तक अंक संख्या 2 का संबंध है, यह माना गया था कि, कथित दुर्घटना की तिथि पर, आपत्तिजनक वाहन (टवेरा संख्या UA 04D 0345) का विपरीत पक्ष संख्या 2/राष्ट्रीय बीमा कंपनी के साथ वैध रूप से बीमा किया गया था इसलिए, उक्त मुद्दे को अपीलकर्ता के पक्ष में और विपरीत पक्ष संख्या 2 के खिलाफ तय किया गया था।

11. जहां तक अंक संख्या 3 का संबंध है, यह माना गया था कि, कथित दुर्घटना के समय, अपीलकर्ता और उल्लंघन करने वाले वाहन (टवेरा नंबर

UD 04D 0345) के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। अत: उक्त विवाद्यक अपीलार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में निर्णीत किया गया।

12. अंक संख्या 4 का निर्णय करते हुए, ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, अपीलकर्ता द्वारा दायर संशोधन आवेदन में पारित आदेश दिनांक 13.10.2010 के अनुसार, मोटरसाइकिल संख्या UA 04E 2955 और उसकी बीमा कंपनी के मालिक ने विरोधी पक्ष संख्या 4 के रूप में पहले ही पक्षकार बना दिया गया है|

13. हालांकि, जहां तक अंक संख्या 5 का संबंध है, ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, दुर्घटना की घटना के संबंध में अंक संख्या 1 में ही अपीलकर्ता के खिलाफ निर्णय लिया गया है, अपीलकर्ता मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

14. तद्नुसार, अपीलकर्ता द्वारा दायर दावा याचिका को खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान अपील भी।

15. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

16. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि ट्रिब्यूनल ने सबूतो जांच की है जैसे कि यह एक आपराधिक मामले का न्याय कर रहा हो। यद्यपि यह आक्षेपित में कहीं भी परिलक्षित नहीं हुआ है निर्णय कि ट्रिब्यूनल सबूत मांग रहा था दावा याचिका में किए गए तर्क उचित से परे हैं, वास्तव में, विवाद में निहित चर्चाएँ फैसले से पता चलता है कि ट्रिब्यूनल इस मामले का एक सही सबूत मांग रहा था। विद्वान परामर्शदाता ने भरोसा किया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कुसुम लता और अन्य बनाम सतबीर और अन्य का मामला, (2011) 3 एससीसी 646 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा दर्ज की गई खोज पर विचार किया ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने कहा कि वाहन बेअरिंग नंबर HR 34 8010 दुर्घटना में शामिल नहीं था क्योंकि तथ्य यह है कि, एक अशोक द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में कुमार, पीड़िता का भाई, न तो नंबर वाहन और न ही चालक के नाम का उल्लेख किया गया था। इस मामले का फैसला करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह सर्वविदित है कि मोटर से संबंधित एक मामले में दुर्घटना का दावा, दावेदारों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है मामले के रूप में यह एक आपराधिक मुकदमे में किया जाना आवश्यक है। द्वारा प्रयुक्त सटीक शब्दों पर ध्यान देना उचित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जैसा कि पैराग्राफ में निहित है 9 और 10:

"9। कोई कारण नहीं है कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय धीरज कुमार के अन्यथा विश्वसनीय सबूतों की उपेक्षा करेंगे। वास्तव में, धीरज कुमार के साक्ष्य को खारिज करने के लिए ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। तथाकथित कारण से धीरज कुमार का नाम एफआईआर में नहीं था, इसलिए धीरज कुमार के लिए घटना को देखना संभव नहीं था, इस मामले में तथ्य-स्थिति का उचित आकलन नहीं है। यह सर्वविदित है कि मोटर दुर्घटना के दावों से संबंधित एक मामले में दावेदारों

को मामले को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह एक आपराधिक मुकदमे में किया जाना आवश्यक है। कोर्ट को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए।

10. इस संबंध में बिमला देवी और अन्य बनाम हिमाचल सड़क परिवहन निगम और अन्य [(2009) 13 SCC 530] में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें इस बिंदु पर प्रासंगिक अवलोकन किया गया है और जो बहुत ही प्रासंगिक है और नीचे उद्धृत किया गया है:
"इस प्रकृति की स्थिति में, ट्रिब्यूनल ने मामले का समग्र दृष्टिकोण सही ढंग से लिया है। यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक था कि किसी विशेष बस द्वारा किसी विशेष तरीके से हुई दुर्घटना का पुख्ता प्रमाण दावेदारों द्वारा किया जाना संभव नहीं हो सकता है। दावेदारों को केवल प्रायिकता की प्रधानता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक लागू नहीं किया जा सकता था।

(जोर दिया गया)

17. वर्तमान मामले में भी, ट्रिब्यूनल ने बहुत विस्तृत रूप से, और एक सर्जन की सूक्ष्मता के साथ, सबूतों की जांच की है। ऐसे मामलों में, साक्ष्य का सख्त नियम, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रतिपादित किया गया है, लागू नहीं होता है और अदालतों को व्यापक संभावनाओं पर आगे बढ़ना चाहिए।

18. इस मामले को देखते हुए, जहां तक अंक संख्या 1 का संबंध है, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश टिकाऊ नहीं है और ट्रिब्यूनल को उस पर फिर से विचार करना चाहिए।

19. तद्नुसार, अपील स्वीकार की जाती है; निष्कर्ष अंक संख्या 1 और 5 पर ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए एतद्द्वारा अलग रखा गया है। हालाँकि, द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अंक संख्या 2, 3 और 4 पर अबाधित न्यायाधिकरण शेष हैं। मामले को पुन: प्रत्यावर्तित किया जाता है
पुन: विचार के लिए और उपयुक्त के लिए न्यायाधिकरण
अंक संख्या 1 और 5 पर आदेश।

20. पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अतिरिक्त के समक्ष उपस्थित हों, जिला न्यायाधीश, नैनीताल, 9 मई, 2022 को। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को ट्रिब्यूनल को इस फैसले की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाए।

_____

एस.के. मिश्रा, ए.सी.जे.

दिनांक 25 मार्च, 2022